कांग्रेस 'अबोध बालक' का बंधक नहीं बने : नड्डा

संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा

नई दिल्ली, 05 फरवरी. संसद के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने न देने के मुद्दे पर कांग्रेस व बीजेपी आमने-सामने आ गईं.

राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीखा पलटवार करते हुए राहुल गांधी को 'अबोध बालक' तक कह दिया, जिससे सियासी माहौल और गरमा गया. राज्यसभा में बोलते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी को अबोध बालक का बंधक नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अहंकार से बाहर निकलकर सदन की मर्यादा और नियमों का पालन करना चाहिए. नड्डा की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी खेमे में नाराजगी देखने को मिली.

> सदन में जब खड़गे ने लिंचिंग जैसे गंभीर शब्द का इस्तेमाल कर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वित्त मंत्री ने न केवल इस पर कड़ी आपत्ति जताई, बल्कि इसे सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी की. सीतारमण ने कांग्रेस को उनके अपने शासनकाल की याद दिलाते हुए उन विवादित घटनाओं का जिक्र किया जिन्होंने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं.

सदन के नियमों का पालन नहीं कर रहे- रिजिजू

पीएम के भाषण को लेकर अपील- इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में सभी सांसदों से नियमों और परंपराओं का पालन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सभी सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं.

> सच को छिपाने की कोशिश में ठप है लोकसभा

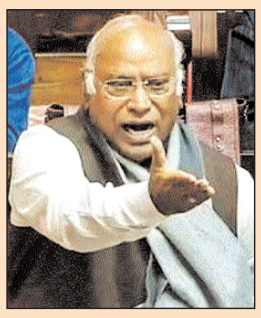

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है और इसकी वजह से चार दिन से लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल रही है तथा सदन पंगु बनकर रह गया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही को चार दिन से पंगु बनाने के लिए सरकार जिम्मेदार है जो विपक्ष के नेता को सदन में नहीं बोलने दे रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार चीनी घुसपैठ पर देश के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों से जुड़े सच को छिपाने का लगातार प्रयास कर रही है लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता है. जेपी नड्डा की टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तीखा पलटवार किया. खरगे ने कहा कि आपकी पार्टी तो प्रधानमंत्री मोदी के बंधन में है, आप उनकी राय के बिना एक शब्द भी नहीं बोल सकते. उन्होंने बीजेपी को कांग्रेस को नसीहत देने से बचने की सलाह दी.

बलूचिस्तान में पाक ने 216 लड़ाके मारे

इस्लामाबाद, 05 फरवरी. पाकिस्तानी सेना ने देश के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में 'आतंकवाद विरोधी अभियान' में कम से कम 216 बलूच लड़ाकों को मार गिराया है.

पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने गुरूवार को एक बयान में कहा कि बलूच लड़ाकों के हमलों में सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कुल 22 जवान और 36 नागरिक भी मारे गये. यह अभियान 29 जनवरी को शुरू हुआ था, जब विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि बलूच लड़ाके स्थानीय आबादी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं. आईएसपीआर ने कहा कि इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों को नाकाम किया. बयान में कहा गया है कि इसके बाद कई इलाकों में खुफिया जानकारी पर आधारित एक बड़ा अभियान चलाया गया. बयान के अनुसार, अभियान के दौरान विदेशी मूल के हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया. सेना ने बताया कि पंजगुर और हरनाई जिले के बाहरी इलाकों में विद्रोहियों के छिपे होने की पक्की खुफिया जानकारी मिली थी. इसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां कार्रवाई शुरू की. सेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला बोला, जिसमें शुरुआत में 41 विद्रोही मारे गए. बाद में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई और सफाई अभियान के दौरान कुल 216 विद्रोहियों को मार गिराया गया. सेना का दावा है कि इस कार्रवाई से विद्रोही नेटवर्क के नेतृत्व, उनके कमांड स्ट्रक्चर और काम करने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है.

मिलकर सुलझाएं जल विवाद : देवेगौड़ा

▶ राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री की भावुक अपील

नई दिल्ली, 05 फरवरी. पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने राज्यसभा में एक भावुक अपील करते हुए केंद्र सरकार और सभी पार्टियों के नेताओं से कर्नाटक को प्रभावित करने वाले लंबे समय से जारी जल विवादों का सौहार्द्रपूर्ण और स्थायी समाधान निकालने के लिए काम करने का आग्रह किया है.

जनता दल (सेक्युलर) नेता ने हाथ जोड़कर कहा कि यह मुद्दा राजनीति से परे है और सीधे किसानों और पीने के पानी की भारी कमी का सामना कर रहे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक दशकों से अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के कारण पीड़ित है. उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की अपील की है. श्री देवेगौड़ा ने केंद्र से सक्रिय और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया.

> पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के कई हिस्सों में पीने के पानी की स्थिति गंभीर हो गयी है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी प्रभावित हो रही है. उन्होंने लोगों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल और दीर्घकालिक समाधान की मांग की. उनकी यह अपील अंतर-राज्यीय नदी जल बंटवारे पर लगातार असहमति के बीच आयी है, खासकर कावेरी बेसिन से जुड़े विवाद, जो कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव का एक लगातार स्रोत बना हुआ है.

रूस और यूक्रेन के बीच समझौता

अबू धाबी. रूस, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों ने 314 युद्धबंदियों की अदला-बदली करने पर सहमति व्यक्त की है. अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकोफ ने गुरुवार को यह महत्वपूर्ण घोषणा की. पिछले पांच महीनों में दोनों देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला कैदी विनिमय समझौता है. अबू धाबी में इन दिनों चल रही शांति वार्ता का एक बड़ा परिणाम माना जा रहा है. श्री विटकोफ ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि यह सफलता दो दिनों तक चली विस्तृत और उत्पादक शांति वार्ता के बाद हासिल हुई है.

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

बकाया डीए के भुगतान का सख्त आदेश, 6 मार्च तक डेडलाइन

नई दिल्ली, 05 फरवरी. पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) विवाद पर शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों का डीए कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार है. कोर्ट ने 2009 से 2019 तक के बकाया डीए का 25त्न हिस्सा तय समयसीमा में चुकाने का आदेश देते हुए राज्य सरकार के वित्तीय तंगी के तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को झटका देते हुए राज्य के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने कहा डीए कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है इसे रोक नहीं सकते.

> कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार को कुल बकाया डीए का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा 6 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से चुकाना होगा. अदालत ने रोपा नियमों के तहत परिलब्धियों की गणना में डीए को अनिवार्य बताते हुए राज्य सरकार द्वारा नियमों में किए गए बदलावों को 'मनमाना' और 'सनकी' करार दिया. सुनवाई के दौरान सरकार ने वित्तीय संकट का हवाला दिया, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वित्तीय नीति किसी वैधानिक अधिकार के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती. इस फैसले से राज्य के करीब 20 लाख कर्मचारियों को सीधी राहत मिली है.

आज से नितिन नबीन दो दिवसीय केरल दौरे पर

नई दिल्ली/कोच्चि. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुक्रवार (छह फरवरी) से केरल के दो-दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री नवीन का यह दौरा आगामी केरल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण, चुनावी रणनीति की समीक्षा और कार्यकर्ताओं में नयी ऊर्जा के संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यटन घाट का किया निरीक्षण

पटना, 05 फरवरी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को अधिकारियों को दीघा पर्यटन घाट पर समग्र उद्यान का निर्माण कराने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने आज गंगा नदी के किनारे स्थित दीघा पर्यटन घाट पर किये जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री कुमार को बताया कि पर्यटन विभाग जनार्दन घाट को पर्यटन घाट के रूप में विकसित कर रहा है. श्री कुमार ने निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देश दिया कि दीघा पर्यटन घाट पर समग्र उद्यान का निर्माण करायें. इस घाट को पक्का घाट बनायें और यहां गंगा आरती की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायें, जिससे यहां बड़ी संख्या में आनेवाले लोग इसका आनंद उठा सकें. मुख्यमंत्री श्री कुमार निर्देश दिया कि गंगा की सैर करने वाले यहां जो पर्यटक आते हैं उनके लिये बुनियादी और अच्छी पर्यटकीय सुविधायें विकसित करायें.

अमेरिका राजी, मस्कट में आज को होगी बैठक

काहिरा, 05 फरवरी. ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच दोनों देश शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में वार्ता करने पर सहमत हो गये हैं. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. पिछले कुछ दिनों से वार्ता के स्थान और एजेंडे को लेकर दोनों पक्षों में सार्वजनिक मतभेद सामने आ रहे थे, जिससे आपसी गहरे मतभेद उजागर हुए थे. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वार्ता शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10 बजे मस्कट में होगी. उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए ओमान का आभार भी जताया.

ठगने के मामले में ईडी ने एनएससी समूह के खिलाफ दर्ज किया केस

नई दिल्ली, 05 फरवरी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऊंची ब्याज दरों पर पैसा जमा करवा कर उसे वापस नहीं करने के सिलसिले में नेदुमपरम्बिल क्रेडिट सिंडिकेट (एनसीएस समूह) के प्रमोटरों और मुख्य अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

यह कार्रवाई केरल पुलिस की दर्ज की गई कई प्राथमिकियों के आधार पर शुरू की गई है. इनमें कथित तौर पर ज़्यादा रिटर्न का वादा करके लोगों से पैसे लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है. ईडी ने कहा-शुरुआती जांच में पता चला कि केरल में कई निवेशकों को बड़ी रकम निवेश करने के लिए लुभाया गया. लेकिन बाद में पैसा न तो वापस किया गया और न ही वादा किया गया रिटर्न मिला. एनसीएस ग्रुप की कंपनियों के बैंक खातों के विश्लेषण से बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन, कई संबंधित कंपनियों में फंड ट्रांसफर और बड़ी मात्रा में कैश निकालने का पता चला है. एजेंसी ने आगे कहा कि जांच में राज्य भर में अचल संपत्तियों में फंड के संदिग्ध निवेश का भी पता चला है. ईडी ने इकट्ठे किए गए सबूतों के आधार पर, तलाशी अभियान भी चलाया ताकि अपराध से मिले पैसों का पता लगाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सबूत हासिल किए जा सकें.

किसानों को 5 मिनट में ई-केसीसी से ऋण

▶ लोकभवन में राज्य ऋण संगोष्ठी में बोले सीएम योगी

लखनऊ, 5 फरवरी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के कारण उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है.

पहले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण पाने में 25 दिन से एक महीने तक का समय लगता था, लेकिन अब ई-केसीसी के जरिए किसान मात्र पांच मिनट में ऋण सुविधा प्राप्त कर रहे हैं. मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का कृषि ऋण लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है. योगी ने कहा कि आज सरकार और किसान मिलकर खेती में एआई के उपयोग पर काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्रीय बजट में एआई एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है.

> मुख्यमंत्री ने कई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) को सम्मानित भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों द्वारा संचालित कसया मिल्क प्रोड्यूसर एफपीओ (1005 सदस्य) और मथुरा की 750 महिलाओं वाली सरसों उत्पादक कंपनी पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल हैं. महिलाओं ने प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए बेहतर मुनाफा कमाया है. सरकार ऐसे प्रयासों को हर स्तर पर सहयोग देगी. योगी ने कहा कि सहकार से समृद्धि के विजन के तहत सहकारिता क्षेत्र में डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है. उन्होंने बताया कि 2017 से पहले बंद होने की कगार पर खड़े 16 जिला सहकारी बैंकों में से 15 आज मुनाफे में हैं. एमएसएमई सेक्टर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडीओपी योजना ने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है.

एक नजर में

नाइजर सेना ने एक हफ्ते में मारे 47 आतंकवादी

नियामे, 05 फरवरी. नाइजर के रक्षा और सुरक्षा बलों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने 26 जनवरी से एक फरवरी के बीच पूरे देश में लक्षित हवाई हमलों और लगातार जमीनी अभियानों के ज़रिए 47 आतंकवादियों को ढेर किया और 21 अन्य को गिरफ्तार किया है. राष्ट्रीय टेलीविज़न टेली साहेल पर प्रसारित एक साप्ताहिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, इन अभियानों के दौरान बड़ी मात्रा में उपकरण भी बरामद किये गये, जिनमें हथियार, गोला-बारूद, वाहन और ईंधन शामिल हैं. सुरक्षा बलों ने कहा कि वे नागरिकों और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 24 घंटे सतर्क हैं. पिछले हफ्ते देश में कुल मिलाकर सुरक्षा स्थिति आम तौर पर शांत रही, हालांकि राजधानी नियामे में एयर बेस 101 पर हमले की कोशिश हुई. सुरक्षा बलों ने इसका तत्काल और ज़ोरदार जवाब दिया और स्थिति को जल्दी ही नियंत्रण में कर लिया गया.

सुरक्षा बढ़ाने दक्षिण कोरिया में विधेयक पेश

सोल, 05 फरवरी. दक्षिणी कोरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण नौकरियों के नुकसान से श्रमिकों को बचाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है. हाल ही में हुंडई मोटर की ओर से प्रस्तुत एटलस ह्यूमनॉइड रोबोट प्रोजेक्ट के बाद यह चिंता और गहरी हो गयी है कि रोबोट श्रमिकों की जगह ले सकते हैं. इस गहराते संकट को देखते हुए दक्षिण कोरियाई संसद ने संसद में नया विधेयक पेश किया है.

हिरासत में लिए गए 8 भारतीय नाविक रिहा

नई दिल्ली 05 फरवरी. ईरान में हिरासत में लिए गए 16 भारतीय नाविकों में से आठ को रिहा कर दिया गया है और उनके स्वदेश लौटने की प्रक्रिया चल रही है जबकि शेष नाविकों के संबंध में भारतीय दूतावास के अधिकारी ईरानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमें ईरान में 16 नाविकों तक कांसुलर पहुँच मिली है. बंदर अब्बास में हमारे अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की है. ईरानी अधिकारियों के अनुसार इन 16 में से आठ को रिहा कर दिया गया है और वे भारत लौट रहे हैं. शेष आठ नाविकों के मामले में हम ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं और उन्हें समुचित सहायता देने के तरीकों पर काम कर रहे हैं.

नीरज घेई को सीए वुमन लाइफटाइम अवार्ड

नई दिल्ली, 5 फरवरी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने 1 फ़रवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड फ़ोरम ऑफ अकाउंटेंट्स 2026 के दौरान सीए नीरज घेई को प्रतिष्ठित 'सीए वुमन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025' से सम्मानित किया.

यह पुरस्कार भारत के माननीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रदान किया गया. यह सम्मान एक बिज़नेस लीडर, उद्योग की अग्रणी हस्ती एवं समर्पित परोपकारी के रूप में उनके चार दशकों से अधिक के असाधारण योगदान को मान्यता प्रदान करता है. वर्ष 2023 में स्थापित सीएम हिला उत्कृष्टता पुरस्कार का उद्देश्य उन महिला नेताओं को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने संगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे और समाज पर स्थायी प्रभाव डाला है. सम्मान प्राप्त करने पर सीए नीरज घेई ने कहा कि सीए होना उनके लिए केवल एक पेशा नहीं, बल्कि अखंडता, अनुशासन, सीखने और समाज-सेवा की आजीवन यात्रा है. उन्होंने युवा सदस्यों से पेशे की मूल मूल्य—अखंडता और विश्वास की रक्षा करने का आह्वान किया. सीए नीरज घेई ने वर्ष 1985 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मोहिंदर पुरी एंड कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की. वह ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष रहीं और सेलेक्ट सिटीवॉक जैसे प्रतिष्ठित रिटेल प्रोजेक्ट्स के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई. कॉर्पोरेट उपलब्धियों के साथ-साथ वे शिक्षा, स्वास्थ्य और बालिकाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी सामाजिक पहलों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं.

आज का इतिहास

1715 – स्पेन और पुर्तगाल के बीच युद्ध समाप्त हुआ।
1778 – ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया।
1788 – मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को मानने वाला छठा राज्य बना।
1819 – थॉमस स्टैमफर्ड रैफेल्स ने सिंगापुर की खोज की।
1833 – ओट्टो आधुनिक समय में यूनान के पहले सम्राट बने।
1899 – रिको गुआम-फिलीपींस अमरीका को सौंप दिए।
1911 – अमेरिका के एरिजोना में पहला वृद्धाश्रम खोला गया।
1918 – 30 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को ब्रिटेन में मतदान करने का अधिकार मिला।
1941 – ब्रिटिश सेना ने लीबिया के बेनगाजी शहर पर क़ब्ज़ा किया।

न्यूजीलैंड में अंतरर्राष्ट्रीय अभियान में 4 .2 टन कोकीन जब्त किया

वेलिंगटन, 05 फरवरी. न्यूजीलैंड सरकार की एजेंसियों ने फ्रांस के अधिकारियों के साथ मिलकर फ्रेंच पोलिनेशिया में एक बड़े अंतरर्राष्ट्रीय अभियान के तहत 4.24 टन कोकीन जब्त की है.

न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा, न्यूजीलैंड रक्षा दल (एनजेडडीएफ) और सरकारी संचार सुरक्षा ब्यूरो (जीसीएसबी) ने अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (डीईए) की सहायता से फ्रांसिसी अधिकारियों के साथ समन्वय कर सोमवार को एक जहाज को रोका और उस पर मौजूद 4.24 टन कोकीन को जब्त किया. सीमा शुल्क मंत्री केसी कोस्टेलो ने कहा कि दिसंबर में शुरू की गयी नयी अंतरर्राष्ट्रीय, संजीदा एवं संगठित अपराध कार्य योजना के तहत यह तय किया गया था कि संबंधित एजेंसियां मिलकर समुद्री अभियान चलाएंगी, ताकि प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय संगठित अपराध नेटवर्क को निशाना बनाया जा सके. उन्होंने कहा-यह इस अभियान, ऑपरेशन किवा की पहली बड़ी सफलता है और मुझे खुशी है कि हमारी एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए फ्रांस और अमेरिका के साझेदारों के साथ मिलकर यह परिणाम हासिल किया. श्री कोस्टेलो ने कहा कि सीमा-पार संगठित अपराध से निपटने के लिए अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत साझेदारियां जरूरी हैं. एक बयान में कहा गया कि ऑपरेशन किवा के तहत सीमा शुल्क, एनजेडडीएफ और जीसीएसबी की विशेषज्ञता और क्षमताओं को एक साथ लाकर खुफिया अभियानों और समुद्री निगरानी को मजबूत किया गया है,

फारस की खाड़ी में तेल तस्करी कर रहे दो जहाजों को किया जब्त

तेहरान, 05 फरवरी. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने गुरूवार को फारस की खाड़ी में फारसी द्वीप के पास ईंधन तस्करी में शामिल दो विदेशी जहाजों को जब्त करने का दावा किया.

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस अभियान के दौरान भारी मात्रा में ईंधन और इन जहाजों पर सवार विदेशी चालक दल के पंद्रह सदस्यों को हिरासत में लिया गया है. आईआरजीसी की नौसेना ने दोनों जहाजों से 10 लाख लीटर से अधिक तस्करी के इरादे ले जाया जा रहा ईंधन बरामद किया है. रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इन सभी को कानूनी कार्यवाही के लिए न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया है.

गार्ड्स ने यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि ये जहाज एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे, जो पिछले कई महीनों से क्षेत्र में अवैध ईंधन तस्करी का संचालन कर रहा था. आईआरजीसी ने बताया कि इन जहाजों को पकड़ने से पहले उनकी गतिविधियों पर तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी

सुप्रीम सुनवाई | **हिरासत में लेना तब आवश्यक है जब वह कम से कम एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए हो**

7 साल तक की सजा वाले अपराध में नोटिस देना जरूरी

नई दिल्ली 5 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 35(3) के तहत नोटिस देना उन मामलों में अनिवार्य है जिसमें आरोपी पर सात साल तक की कैद की सजा वाले अपराध का आरोप है और इन मामलों में गिरफ्तारी एक अपवाद है.

न्यायालय इस मुद्दे की जांच कर रहा था कि क्या सात साल तक की सजा वाले सभी मामलों में धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि सात साल से कम कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, जब तक कि बीएनएसएस की धारा 35 (3) के तहत नोटिस जारी नहीं कर दिया जाए. न्यायालय के अनुसार, हिरासत में लेना तब आवश्यक है जब वह कम से कम एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए हो, जैसे कि और अपराधों को रोकना, उचित जांच सुनिश्चित करना, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ रोकना, गवाहों की रक्षा करना, या अदालत के समक्ष आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना. पीठ ने स्पष्ट किया कि एक वैध गिरफ्तारी के लिए धारा 35(1)(बी)(द्व) का पालन और धारा 35(1)(बी) के तहत कम से कम एक आवश्यक शर्त का होना अनिवार्य है. इन शर्तों के पूरा होने पर भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है. इसके बाद भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का निर्णय लेने में अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकता है.

> **बिना सुनवाई की गई कठोर टिप्पणी अवैध**
>
> **जयपुर.** राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक फैसले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बिना सुनवाई के की गई निचली अदालत की कठोर टिप्पणियों को अवैध करार दिया है. न्यायमूर्ति अनिल उपमन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा किसी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ बिना नोटिस दिए और पक्ष सुने बिना प्रतिकूल टिप्पणी करना न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है.